


14



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/2017 विविध (रेस्टोरेशन)

वि.वि.प्र-9056-म-17


1. बांकेलाल सिंह
2. शीतल सिंह पुत्रगण श्यामले सिंह परिहार
निवासी ग्राम-सतनरा कोठार,
तहसील-गोपद बनास जिला-सीधी म.प्र.


विरुद्ध

1. सम्पत सिंह पुत्र जानकी सिंह
2. बाबू सिंह पुत्र जानकी सिंह
3. देवेन्द्र सिंह पुत्र जगबन्धन सिंह
4. बृजेन्द्र सिंह पुत्र जगबन्धन सिंह
5. गौहर सिंह पुत्र रामप्रताप सिंह
6. दददी सिंह तनय बृजमोहन सिंह

निवासीगण ग्राम-सतनरा कोठार

तहसील-गोपद बनास, जिला-सीधी म.प्र.

श्री. सुकेश बेताफूरकर (बड.)
द्वारा आज दि-01/03/17 को
प्रस्तुत

राजस्व मण्डल


Belapurkar
1-3-17

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-9 के अंतर्गत निर्मित राजस्व मण्डल की कार्य पद्धती एवं प्रक्रिया संबंधी नियमों के नियम-32 के अंतर्गत पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 946-1/2012 के पुनः स्थापन हेतु आवेदन पत्र.

महोदय,

आवेदकगण निम्नानुसार आवेदन प्रस्तुत करते हैं-

1. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास, जिला-सीधी द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक-29/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 19/12/2011 के विरुद्ध राजस्व मण्डल के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवेदकगण ने रीवा के अभिभाषक श्री गोविन्द नारायण सिंह को नियुक्त किया था।

M. 9056-II/17

रेखा

B

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि से हस्ताक्षर
3/4/17	<p>आवेदन संख्या का- 440 को प्राप्त हुआ। उनके द्वारा आवेदन में कहा गया है कि- यकला में वस- हो गई थी- लेकिन युवा विभाग में विभाग की प्रवृत्ति वही है। यकला के लिए विभाग में वही R- 946 II/12 में आदेश दिया 27/7/16 युवा विभाग में विभाग में है यकला समाप्त होने के लिए में युवा विभाग में</p>	<p>3/4</p>

M